Title: Need to relax the provisions of Forest Conservation Act, 1980 regarding payment of money by the states using their forest land for setting up herbal garden.

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वन-विभाग के वन संरक्षण अधिनियम-1980 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कोई भी भूमि जो दूसरे विभाग को अलॉट की जाती है उसमें फॉरेस्ट-एक्टिविटी शुरु करने के लिए शुल्क देना पड़ता है। भूमि आयुर्वेद विभाग को दी जाये और वह उस पर वनस्पति-वन लगाना चाहे तो भी उसमें प्रावधान है कि उसके लिए शुल्क जमा करवाया जाए। जहां वन लगाने की एक्टिविटी शुरु होनी है, मेरा निवेदन है कि वहां शुल्क न लिया जाए।